

4.6.8 प्रार्थी राजेश सिंह जारिये अधिवक्ता  
 प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन  
 कि वाद पत्र को आगे नष्ट  
 चलाना चाहते हैं किना की  
 अनुमति प्रदान की जावे।  
 प्रार्थनापत्र स्वीकार कर  
 अनुमति दी जाती है।  
 प्रशासकी गैरत न कर्म की  
 जाका दायित्व वपरा की  
 जानी है।

तो न  
 प्रार्थना  
 पत्र -  
 पत्र

02/02/2023  
 सहायक कलक्टर  
 एवं अपात्रण अधिकारी  
 हनुमानगढ़

